पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 441/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. जतनोकंवर पत्नी स्व0 मोडसिंह निवासी– आकली, तहसील शिव जिला बाडमेर। 2. लूणकंवर पुत्री मोड सिंह पत्नी गेमर सिंह निवासी–रामसर जिला बाडमेर।		1. ग्राम पंचायत कोटडा, तहसील शिव जिला बाडमेर। 2. ग्राम पंचायत आकली तहसील शिव जिला बाडमेर। 3. मूलकंवर पुत्री बागसिंह पत्नी पाबूदानसिंह, निवासी– खारिया तहसील रामसर जिला बाडमेर। 4. पदमाराम पुत्र सोनाराम जाट निवासी–हरियाली (भाडका) तहसील व जिला बाडमेर। 5. सहायक अभियन्ता, खनिज, खनिज भवन सिणधरी, चौराहा, जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 08.05.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 19/2016 बअनवान जतनोंकंवर वगेराह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कोटडा वगैरा में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1– श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है।

निर्णय

दिनांक 19 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक अपील रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध पेश की। जिसमें अपीलान्टस मोडसिंह पुत्र खुशालसिह की जायन्दा वारिसान होने तथा ग्राम कोटडा से बने नये ग्राम आकली में उनकी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1435 व 1453 रकबा 28.15, 05.04 बीघा कुल रकबा 33.19 बीघा आया हुआ है जिसकी नकल खतौनी संलग्न है। खातेदार मोडसिंह पुत्र खुशालसिंह का देहान्त आज से करीबन 40 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके वारिसान में स्व0 मोडसिंह की पत्नी अपीलान्ट संख्या 1 व उनकी पुत्री अपीलान्ट संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में विरासती रूप में दर्ज किये जाने चाहिये थे। उक्त नामों का इन्द्राज नामा0 में नहीं कर अन्य व्यक्ति बागसिंह पुत्र समरथसिंह को स्व. मोडसिह का वारिस मानते हुए भरा गया जो गलत विधि है। उक्त नामा0 संख्या 43 ग्राम पंचायत से गलत स्वीकृत करवाया गया। श्री मोडसिंह पुत्र खुशालसिंह ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया था, मोडसिंह की फौतेदगी पर उनकी जीवित पत्नी अपीलान्ट जतनोकंवर व उनकी पुत्री लूणकंवर के नाम नामा0 खोला जाना चाहिये था। उक्त बागसिंह, मोडसिंह का न तो जाईन्दा संतान है तथा न ही गोदपुत्र है। श्री बागसिंह के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर मोडसिंह का पुत्र बताकर अपने नाम से नामा0 संख्या 43 दर्ज करवा लिया गया। अपीलान्ट जतनों कंवर व उनके पति ने कभी भी बागसिंह को गोद नहीं लिया और बागसिंह के पक्ष में गिफट, दान अथवा रजिस्टर्ड बेचान नहीं किया तथा कोई वसीयत भी नहीं की, वर्तमान में बागसिंह का भी देहान्त हो चुका है। जिनके एक मात्र वारिसान मूलकंवर रेस्पो0 संख्या 3 है जिनको उक्त गलत प्रविष्टियों का पता चलने पर उसने रेस्पो0 संख्या 4 को उक्त भूमि बेचान कर दी। उक्त नामा0 संख्या 43 विधि विरूद्ध व गलत होने से निरस्त किया जावे एवं स्व. मोडसिंह के विधिक व जाईन्दा वारिसान अपीलार्थी संख्या एक व दो के नाम दर्ज किया जावें।

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी करने का आदेश दिनांक 22.12.2016 को प्रदान करते हुए उक्त वर्णित भूमि का आगामी पेशी तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने का आदेश पारित किया गया।

तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में दिनांक 8.5.2017 को अपीलार्थीगण की अपील जरिये विड्रो खारिज करते हुए आदेश पारित किया कि ''पत्रावली बमुकाम कैम्प आंरग में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया चूंकि अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 4 ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से की गई समझाईश के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अपील के तथ्यों के सम्बन्ध में सुलह हो चुकी है अतः वे अपील की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते है ऐसी सूरत में अपील की कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा अपील की कार्यवही इसी स्तर पर समाप्त की जी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।'' उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता उपस्थित है। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अतः अपीलान्टस के अधिवक्ता के द्वारा की गई एकपक्षीय बहस को सुना गया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से व विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश की अनपद्ध महिलाए है जिनके पास रेस्पो0 संख्या 4 पदमाराम आया और कहा कि आप की जमीन का उक्त नामा0 बागसिंह के नाम गलत भरा गया था क्योंकि बागसिंह मोडसिंह का पुत्र नहीं था अतः कोर्ट में चलकर राजीनामा पेश कर उक्त नामा0 निरस्त करवाकर पुनः आपके नाम भरवा देते है जिस पर अपीलार्थीगण ने पदमाराम के विश्वास पर पदमाराम के साथ अधिवक्ता के पास आई और अधिवक्ताओं द्वारा अपीलार्थीगण से फोटो लेकर राजीनामें पर चिपकाया और अपीलार्थीगण से अंगूष्ठ निशान करवाकर उक्त राजीनामा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने हमारे से पूछा की आपके राजीनामा हो गया है तब अपीलार्थीगण ने पदमाराम के कहे अनुसार राजीनामा होना मानते हुए राजीनामा की बात कही जिस पर राजीनामें को रिकार्ड पर रखते हुए दिनांक 24.4.2017 को तस्दीक कर दिनांक 15.05.2017 नियत की गई। तत्पश्चात अपीलार्थीगण अपने घर

भी रेस्पो0 संख्या 4 से मिलीभगत करते हुए गलत रूप से राजीनामा होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण को नहीं बताया गया, उन दोनों पर विश्वास कर राजीनामें पर हस्ताक्षर किये परन्तु अधिवक्ताओं द्वारा धोखा करते हुए राजीनामें में अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील विड्रा करना चाहती है, लिखवा दिया। जबकि अपीलार्थीगण ने कभी अपील विड्रा करने की सहमति व राजीनामा नहीं किया। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्त होने से निरस्त किया जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 4 पदमाराम के अधिवक्ताओं द्वारा उनको आगामी तारीख 15.5.2017 नियत होना बताया परन्तु उसके पश्चात अधिवक्ता के द्वारा उन्हें सही स्थिति से कभी अवगत नहीं कराया गया और पेशी आगे नियत होना व अपील लम्बित होना बताया जाता रहा। तत्पश्चात काफी समय बाद अपीलार्थीगण के द्वारा अपने रिश्तेदारों को बात बताई जाने पर उनके द्वारा न्यायालय में जाकर प्रकरण की स्थिति पता करने की सलाह दी गई तब दिनांक 5.10.2018 को पटवारी हल्का से सम्पर्क कर नामा0 संख्या 43 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा प्रकरण की वस्तुस्थिति अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त की तब उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई और रेस्पो0 संख्या 4 व उनके अधिवक्ताओं द्वारा बडा धोखा किया गया और अपीलार्थीगण के साथ विश्वासघात किया गया। तब अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त पत्रावली में पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि 24.10.2018 को प्राप्त की, इससे पूर्व उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी नहीं रही है अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि बागसिंह मोडसिंह का पुत्र नहीं था, वास्तव में बागसिंह समरथसिंह का पुत्र था जो बागसिंह के नजदीकी रिश्तेदार भी नहीं था, ऐसी स्थिति में उक्त राजीनामा प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थीण की पीठ पीछे उनको अन्धेरे में रखते हुए लिखवाया गया, प्रतीत हो रहा है क्योंकि राजीनामा यदि पढ कर सुनाया जाता तो अपीलार्थीगण बागसिंह को खातेदार मोडसिंह का पुत्र होने की कभी हामी नहीं भरती और न ही ऐसी कोई सहमति देकर राजीनामा पर अंगूष्ठ निशान करती। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रथम अपील ही इस आधार पर पेश की थी कि बागसिंह खातेदार मोडसिंह का पुत्र नहीं है, उसके द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने आप को मोडसिंह का पुत्र बताते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 43 अपने से स्वीकृत करवा लिया। दिनांक 25.01.2017 को ग्राम पंचायत आकली, शिव के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी कर अपीलार्थीगण को दिया गया कि मोडसिंह पुत्र खुशालसिंह राजपूत निवासी– आकली तहसील शिव का देहान्त हो चुका है। उक्त मोडसिंह के परिवार में निम्न सदस्य व वारिसान है, जतनोंकंवर मृतक की पत्नी, लूणकंवर मृतक की पुत्री इसके अलावा अन्य कोई वारिस मृतक मोडसिंह के नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, व अपील के संलग्न भी प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त बागसिंह के फौत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा बागसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें बागसिंह के समरथसिंह का पुत्र होना लिखा गया, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के द्वारा बागसिंह को मोडसिंह का पुत्र होना कभी स्वीकार नहीं किया गया परन्तु रेस्पो0 संख्या 4

कराया गया ऐसी स्थिति में उक्त जैर अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की बिना सहमति के राजीनामें पर पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 8.5.2017 को पारित आदेश को अपास्त किया जाकर तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जावे कि स्व0 मोडसिंह के सही वारिसों की जॉच कर मौजा कोटडा वर्तमान ग्राम आकली के खेत ख0सं0 1435 व 1453 रबा 28.15 बीघा व 05.04 बीघा कुल रकबा 33.19 बीघा स्व0 मोडसिंह के विधिक वारिसों के नाम दर्ज किया जावें।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 08.05.2017 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया है कि दिनांक 24.04.2017 को अपीलान्ट जतनोंकंवर एवं लूणकंवर तथा रेस्पो0 संख्या 4 पदमाराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शिव के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा की तहरीर पढकर सुनाई गई व समझाई गई जिसे सही होना स्वीकार कर अपीलार्थीया ने अंगुष्ठ निशान किये। अपीलान्ट की पहचान वकील श्री ब्रजमोहन कुमावत ने एवं रेस्पो0 संख्या 4 की पहचान वकील श्री चेतनराम सारण ने की। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजीनामा बाद तस्दीक शामील पत्रावली किया गया। उक्तानुसार चूंकि विधिवत राजीनामा पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में अपील का निस्तारण किया जा चुका है अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलार्थीया की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर